"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जून 2010—आषाढ़ 2, शक 1932

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जून 2010

आदेश

क्रमांक 7027/285/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 30/III-10-8/2000/भाग-5/गोप./2010 बिलासपुर, दिनांक 28-1-2010 के अनुपालन में छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 4 के परन्तुक में उल्लेखित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में, एतद्द्वारा, सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) Civil Judge (Entry Level) के विद्यमान पदों में से 15 (पंद्रह) पदों को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (Senior Civil Judge) के रूप में उन्नत (Upgrade) करता है.

उक्त संबंध में वित्त विभाग ने अपने यू. ओ. क्रमांक 229/29579/वित्त विभाग/ब-3/2010 दिनांक 22-6-2010 के द्वारा सहमति प्रदान की है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.